

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुडा भवन भोपाल

क्रमांक/6124/जनसुनवाई प्रकोष्ठ/प्र.अ./लोस्वायावि./2009 भोपाल, दिनांक 14/7/09
प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/
ग्वालियर/वि.यां.भोपाल

विषय:- "जन सुनवाई" प्रत्येक मंगलवार प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे मध्य आयोजित करने के संबंध में ।

- संदर्भ:- 1. सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रं. एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 30.6.2009
2. इस कार्यालय का पृष्ठांकन क्रमांक 6021/दिनांक 10.7.09

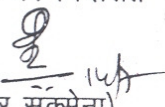
संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय में आम नागरिकों की "जन सुनवाई" हेतु प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक व्यवस्था की गई है, तदनुसार परिक्षेत्र/मण्डल/खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालयों में भी उक्त व्यवस्था लागू की जाना है तथा दिनांक 14.7.09 से यह सुनवाई प्रत्येक स्तर पर प्रारंभ की जा चुकी है, पुष्टि करें।

"जन सुनवाई" के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों/शिकायतों की मॉनीटरिंग और निराकरण की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए । इन प्राप्त आवेदनों की, परिपत्र में संलग्न प्रारूप अनुसार, पंजी का संधारण करें। उक्त सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों/शिकायतों पर यथासंभव उसी दिन कार्यवाही की जाना चाहिए, किन्तु शिकायत/आवेदन पर कार्यवाही करने में अधिक समय की आवश्यकता हो तो इसके लिये आवश्यक न्यूनतम अवधि में प्रकरण का निराकरण किया जाए । यदि नागरिकों की समस्या आपके अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित है तो संबंधित अधिकारी को आवेदन की छायाप्रति भेजकर अधिकतम एक सप्ताह में समस्या का निराकरण कराएं , आवश्यक हो तो दूरभाष पर भी संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर प्रकरण का निराकरण किया जाए एवं की गई कार्यवाही से आवेदक को भी अनिवार्यतः अवगत कराया जाए । विभाग के समस्त कार्यालयों में पदस्थ कार्यालय प्रमुख अनिवार्य रूप से जन सुनवाई के समय कार्यालय में उपस्थित रहकर आम नागरिकों से मिलें एवं आम नागरिकों की समस्याओं के संबंध में जन सुनवाई कर निराकरण करें । अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई अधिकारी जन सुनवाई के दौरान अनुपस्थिति रहें तो ऐसी स्थिति में कार्यालय में पदस्थ किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को अपने स्थान पर "जन सुनवाई" करने हेतु नियुक्त करें जिससे कि आम नागरिकों को "जन सुनवाई" हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो एवं अनुपस्थिति की अनुमति भी सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए। "जन सुनवाई" के दौरान आम नागरिकों से विनम्र व्यवहार किया जाए एवं मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ।

उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु परिक्षेत्र स्तर के समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता

—2—

पृ.क्र.मांक /
प्रतिलिपि:—

/ जनसुनवाई प्रकोष्ठ / प्र.अ. / लोस्वायांवि. / 2009 भोपाल, दिनांक

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर
शासन के पृष्ठांकन क्रमांक 1805 / सचिव / लो.स्वा.यां. / दिनांक 8.7.09 के संदर्भ में
सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियंता